डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 2 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम उदयपुरवाटी

पीठासीन अधिकारीः– श्री राम सिंह राजावत(आर.ए.एस.)
पुनः दर्ज जी सी एम एस न0 :–2023/224 दर्ज दिनांकः–27.07.2021
पुराना मुकदमा न. 188/2017
पुनः दर्ज मुकदमा नम्बरः– 97/2023 पुनः दर्ज दिनांक 31.03.2023
निर्णय दिनांकः–19.04.2023

समदर सिंह बनाम किशन सिंह आदि

दावा–घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 97/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान के डिक्री दी जाती है।

वादी का वाद–पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता हैं तथा डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम धमोरा में स्थित भूमि खसरा न. 455 पुराना में से 2 बीघा 8 बिश्वा पुख्ता का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निज..–.....–..... मुबलिक –.....–..... दाबन.–.....–.....
.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –.....
फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –.....–..... का अदा करे।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 04 सन 2023 को जारी की गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

19/4/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
दर्ज दिनांकः–27.07.2021
पुनः दर्ज जी सी एम एस न0 :–2023/224
पुराना मुकदमा न. 188/2017
पुनः दर्ज दिनांक 31.03.2023
पुनः दर्ज मुकदमा नम्बरः– 97/2023
निर्णय दिनांकः–19.04.2023

समदर सिंह पुत्र मंगेज सिंह उम्र 70 वर्ष जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

वादी

बनाम

1. किशन सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील उदयुपरवाटी हाल आबाद ग्राम बिदासर जिला चूरू
2. लाड कंवर पत्नी बिजेन्द्र पुत्री सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी हाल जोडी हाउस, भालेरी रोड़ सैनिक विश्राम गृह के सामने पुलिस लाइन के पास चूरू
3. सन्तोष कंवर पत्नी औकारसिंह पुत्री सवाईसिंह निवासी हाल ग्राम लोसाणा जिला चूरू
4. सुमेर सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी हाल आबाद गोगामेड़ी तहसील नोहर 2जीजीएम हनुमानगढ़
5. गजराज कंवर पत्नी भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील उदयुरवाटी हाल आबाद गोगामेड़ी तहसील नोहर 2जीजीएम हनुमानगढ़।
6. रेबिनसिंह पुत्र भवानी सिंह निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी हाल आबाद गोगामेड़ी तहसील नोहर 2जीजीएम हनुमानगढ़ नाबालिग जरिये माता संरक्षिकार गजरात कंवर।
7. मोनू कवंर पुत्री भवानी सिंह निवासी धमोरा हाल आबाद गोगामेड़ी तहसील नोहर जीजीएम हनुमानगढ़ नाबालिग जरिये संरक्षिका माता गजरात कवंर।
8. सोनू कंवर पुत्री भवानी सिंह धमोरा हाल आबाद गोगामेड़ी तहसील नोहर जीजीएम हनुमानगढ़ नाबालिग जरिये संरक्षिका माता गजरात कवंर ।
9. पूजा कंवर पुत्री भवानी सिंह धमोरा हाल आबाद गोगामेड़ी तहसील नोहर जीजीएम हनुमानगढ़ नाबालिग जरिये संरक्षिका माता गजरात कवंर ।
10. ओमकवंर पत्नी सुभागसिंह, पुत्री हनुमान सिंह, निवासी चैनपुरा तहसील राजगढ़
11. किरण कंवर पत्नी श्रवण सिंह पुत्री हनुमान सिंह, निवासी चैनपुरा तहसील राजगढ़
12. ताजु कंवर पत्नी फतेहसिंह पुत्री हनुमान सिंह, निवासी चैनपुरा तहसील राजगढ़
13. प्रेम कंवर पत्नी रतन सिंह पुत्री हनुमानसिंह निवासी ग्राम रेाहिणी जिला नागौर
14. गोविन्द सिंह पुत्र म्हाल सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।
15. चैनसिंह पुत्र म्हाल सिंह निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।
16. योगेन्द्र सिंह पुत्र म्हाल सिंह निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।
17. बुगली कंवर पुत्री म्हाल सिंह निवासी धमोरा उदयपुरवाटी।
18. सुशील कंवर पुत्री म्हालसिंह निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

92(क) तथा ... अधिकारी ...

19. मूल सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।
20. कुनण कंवर पत्नी हनुमानसिंह निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।
21. तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

प्रतिवादीगण

दावा–घोषणार्थ, व विभाजन

निर्णय दिनांक 19.04.2023

वादी ने जरिये अधिवक्ता दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन इस आशय का पेश किया कि ग्राम धमोरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा न. पुराना 455 जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नये भूमि खसरा न. 456, 549, 460, 462, 463 व 1543/459 है। भूमि खसरा पुराने 455 में से 2 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.07.1976 को हनुमानसिंह व सवाईसिंह प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 के पूर्वज व प्रतिवादी संख्या 21 के पति से क्रय की थी। उक्त 2 बीघा 8 बिश्वा पुख्ता भूमि का कब्जा हनुमानसिंह व सवाईसिंह वादी को संभला दिया था। जब से वादी भूमि पर कब्जा काश्त चला रहा है। वादी ने उक्त विक्रय पत्र की नकल तत्कालीन पटवारी महोदय को नामान्तकरण हेतु दे दी थी, लेकिन वादी ने किसान क्रेडिट कार्ड हेतु राजस्व रिकॉर्ड की नकल निकलवाई तो पता चला कि उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरण तस्दीक नहीं हुआ है। जिस पर वादी ने उक्त विक्रय पत्र की सत्यप्रलिपि तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष प्रस्तुत कर नामान्तकरण हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार उदयपुरवाटी ने विक्रय पत्र पुराना होने के कारण दर्ज करने में असमर्थता प्रकट की तथा राजस्व न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत कर नामान्तरण कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। इस कारण वादी वादपत्र घोषणार्थ एवं विभाजन का प्रस्तुत करना श्रीमानजी के समक्ष आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 व 21 के व्यवहार को देखते हुए वादी भूमि की घोषणा करवाकर 2 बीघा 8 बिश्वा पुख्ता का स्वतंत्र कब्जा प्राप्त करना चाहता है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 व 21 को दिनांक 01.09.2017 को निवेदन किया जिस पर उन्होंने टालमटोल किया। अन्त में वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धमोरा की सरहद में भूमि खसरा 455 में से 2 बीघा 8 बिश्वा पुख्ता भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी संख्या 22 को आदेशित फरमाया जाना प्रार्थनीय है तथा ग्राम धमोरा की सरहद में भूमि खसरा न. पुराना 455 जिसके नये भूमि खसरा न. 456, 459, 460, 462, 463 व 1543/459 में से 2 बीघा 8 बिश्वा पुख्ता भूमि में वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान नहीं डाले भूमि का बिना विधिवत विभाजन करवाये, दान नहीं करे ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने नौकर, चाकर रिश्ततेदार आदि से कराएं व ग्राम धमोरा की सरहद में भूमि खसरा न. पुराना 455 जिसके नये भूमि खसरा न. 456, 459, 460, 462, 463 व 1543/459 के 2 बीघा 8 बिश्वा पुख्ता भूमि अलग अलग खाता कायम किया जाकर वादी को उसके व हिस्से की भूमि का स्वतंत्र कब्जा दिलाया जावे। वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जवाबदेही की गई।

प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 21 बावजूद तामील हाजिर नहीं जिन के प्रति एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:01 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

बहस वाद पत्र श्रवण कि गई। बहस के दौरान वादी वकील ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.07.1976 को हनुमानसिंह व सवाईसिंह प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 के पूर्वज व प्रतिवादी संख्या 21 के पति से क्रय की थी। उक्त 2 बीघा 8 बिश्वा पुख्ता भूमि का कब्जा हनुमानसिंह व सवाईसिंह वादी को संभला दिया था। जब से वादी भूमि पर कब्जा काश्त चला रहा है। वादी ने उक्त विक्रय पत्र की नकल तत्कालीन पटवारी महोदय को नामान्तकरण हेतु दे दी थी, लेकिन वादी ने किसान क्रेडिट कार्ड हेतु राजस्व रिकॉर्ड की नकल निकलवाई तो पता चला कि उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरण तस्दीक नहीं हुआ है। जिस पर वादी ने उक्त विक्रय पत्र की सत्यप्रलिपि तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष प्रस्तुत कर नामान्तकरण हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार उदयपुरवाटी ने विक्रय पत्र पुराना होने के कारण दर्ज करने में असमर्थता प्रकट की तथा राजस्व न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत कर नामान्तरण कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 एवं 21 के व्यवहार को देखते हुए वादी भूमि की घोषणा करवाकर 2 बीघा 8 बिश्वा पुख्ता का स्वतंत्र कब्जा प्राप्त करना चाहता है जिस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 व 21 को दिनांक 01.09.2017 को निवेदन किया जिस पर उन्होंने टालमटोल किया। राजस्व रिकॉर्ड की मालूमात होने से वास्तविक स्थिति का इल्म होने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु निवेदन करने पर वादकारण उत्पन्न हुआ है। अतः ग्राम धमोरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा न. 455, पुराना में से 2 बीघा 8 बिश्वा पुख्ता भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र में पेश रजिस्ट्री व वादपत्र में संलग्न दस्तावेज के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद–पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता हैं तथा डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम धमोरा में स्थित भूमि खसरा न. 455 पुराना में से 2 बीघा 8 बिश्वा पुख्ता का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

19/4/23
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:01 IST
Reason: SelfAttested

19/4/23
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)